अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय

(४) श्री के० आर० कृपलानी, प्रतिनिधि, साहित्य अकादमी

(५) श्री पी० सी० भट्टाचार्य, प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय

(६) श्री नवाब सिंह, प्रतितिधि, सूचना तथा प्रसार मंत्रालय

(७) श्री यू० एस० मोहनराव, निदेशक, प्रकाशन प्रभाग (पदेन)

(८) श्री बी० वी० (मामा) वरेरकर

(९) प्रो० रामधारी सिंह दिनकर'

(१०) डा० निहार रंजनरे

(११) प्रो० एम० मुजीब

(१२) महामहोपाध्याय डी० वी० पोद्दार

(१३) श्री एस० गोविंदराजुलु

(१४) प्रो० वी० के० एन० मेनन

(१५) डा० एक० वरदराजन

(१६) डा० मुल्कराज आनन्द

(१७) श्री बी० एस० केशवन

(१८) श्री पी० एस० जयसिंघे

(१९) श्री भगवती चरण वर्मा

ट्रांसमिटर का पकड़ा जाना

१०८९. **श्री कछवाय :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वारासिवनी (मध्य प्रदेश) में किसी प्रसिद्ध कम्युनिस्टि के यहां कोई ट्रांसमिटर पकड़ा गया है ;

(ख) वह ट्रांसमीटर कितने दिनों से उसके पास था ; और

(ग) उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) २४ जून, १९६३ को एक ट्रांसमीटर एक ऐसे व्यक्ति के पास से बरामद किया गया था, जिसका किसी राजनैकि दल से सम्बन्ध नहीं है । यह (ट्रांसमीटर) उस व्यक्ति के पिता की दुकान में पकड़ा गया था जो कि एक मुख्य कम्युनिस्ट है ।

(ख) यह ट्रांसमिटर पकड़ने से एक दिन पहले ही तैयार किया गया था ।

(ग) पुलिस ने इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, १९३३ की धारा ३, ६(१–ए) के अधीन चालान दर्ज कर लिया है ।

गोरखपुर जिले में खुदाई

१०९०. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में पुरातत्व विभाग ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कोई खुदाई का काम किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां कोई पुरानी वस्तुयें (मूर्तियां) मिली हैं और वे किस संग्रहालय में रखी गई हैं ; और

(ग) उक्त खुदाई के काम पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल पैदा न होता ।